(1)

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश
17, अरेरा हिल्स, भोपाल

दूरभाष– 2550488, 2550446, 2553305, 2551282, फैक्स– 0755– 2555162
E-Mail : ceomp@mp.nic.in, Website:ceomadhyapradesh.nic.in

फा. क्र. 01/2012/3/590 भोपाल, दिनांक 23 जनवरी, 2012

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी
समस्त (म.प्र.)

विषयः **फोटो निर्वाचक नामावली, 2012 – जिले के वेण्डर द्वारा किये गये कार्यों के प्रमाणिकरण के संबंध में ।**

संदर्भः इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 01/2012/3/4019 दिनांक 18.08.2011 एवं
इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 01/2012/3/4308 दिनांक 03.09.2011

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। आपके जिले में फोटो निर्वाचक नामावली, 2012 का प्रारूप प्रकाशन दिनांक 10.10.2011 तथा अंतिम प्रकाशन दिनांक 05.01.2012 को किया गया। प्रदेश की राज्य स्तरीय समिति के निर्णय अनुसार जिले में फोटो निर्वाचक नामावली के कम्प्यूटराजेशन कार्य को पूर्ण कराने हेतु राज्य स्तरीय संस्था "मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड, भोपाल" को आपके जिले के लिए नियमानुसार वेण्डर चयन कर अनुबंधित करने हेतु अधिकृत किया गया था। राज्य स्तरीय संस्था द्वारा निर्वाचक नामावली के कम्प्यूटराजेशन कार्यों के लिए आपके जिले के लिए वेण्डर को चयनित कर अनुबंधित किया गया। **अनुबंध की शर्तों के अनुसार आपके जिले के वेण्डर द्वारा किये गये सम्पूर्ण कार्यों का सत्यापन संबंधित जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया जाना है।** कृपया आपके जिले के अनुबंधित वेण्डर द्वारा निम्नानुसार कार्य पूर्ण होने के संबंध में **पुष्टि** करें–

प्रारूप प्रकाशन के लिए

- प्रारूप प्रकाशन के पूर्व बूथ लेवल अधिकारियों के रजिस्टर के समस्त संशोधनों जैसे मतदाताओं के नाम, आयु पते इत्यादि को त्रुटिरहित करना। मतदाताओं के मोबाईल नम्बर, ई–मेल पते इत्यादि की इंट्री।
- डुप्लिकेट मतदाताओं के विवरणों को हटाना।
- फोटो निर्वाचक नामावली में शेष रहे फोटोग्राफ्स (Residual) को मतदाता के विवरण के साथ मर्ज करना।
- मतदान केन्द्र के रेश्नालाईजेशन के दौरान मतदाताओं को संशोधित मतदान केन्द्र में स्थानान्तरित करना। इत्यादि
- संशोधित डाटा को एकीकरण कर एकीकृत फोटो निर्वाचक नामावली की पीडीएफ सीडी एवं डाटा सीडी तीन–तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना।
- प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली, 2012 के लिए एक लेजर प्रिन्ट (Single side) एवं 10 फोटो प्रतियाँ (Both Side) मुद्रित कर जिले में निर्धारित समय–सीमा में पर उपलब्ध कराना।

23.1.12

अंतिम प्रकाशन के लिए--

- फोटो निर्वाचक नामावली, 2012 के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त समस्त दावे/आपत्तियों के निराकरण के उपरान्त स्वीकृत आवदेनों की त्रुटिरहित डाटा इंट्री का कार्य पूर्ण करना एवं चेकलिस्ट प्रदान करना।
- फोटो निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन, 2012 के लिए एक लेजर प्रिन्ट (Single side) एवं 10 फोटो प्रतियाँ (Both Side) मुद्रित कर जिले में निर्धारित समय--सीमा में पर उपलब्ध कराना।
- जिले में कुल उपलब्ध कराये गये त्रुटिरहित परिचय पत्रों की संख्या की पुष्टि करना।
- अनुबंध के अनुसार **लेमीनेशन पाऊच एवं कागज़ जाँच** कराने का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त इस पर व्यय राशि । जाँच के लिए व्यय राशि का कटौत्रा आपके जिले के वेण्डर के देयकों से राज्य स्तरीय संस्था द्वारा किया जावेगा।
- यदि जिले द्वारा फोटो निर्वाचक नामावली, 2012 के कार्यों के कम्प्यूटराजेशन कार्यों के लिए **किसी प्रकार की राशि व्यय की है अथवा फोटोकापी कार्य या अन्य के लिए राशि व्यय हुई है, तो इसका समायोजन वेण्डर के देयकों से किया जावेगा।** अतः किसी भी प्रकार के कटौत्रों की जानकारी राज्य स्तरीय संस्था को तत्काल भिजवाएं तथा इस कार्यालय को सूचित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार समस्त बिन्दुओं के कार्यों के त्रुटिरहित एवं समय--सीमा में पूर्ण होने का प्रमाण--पत्र इस कार्यालय को **दिनांक 30.01.2012 तक अनिवार्यत् उपलब्ध करावें।** जिससे राज्य स्तरीय संस्था को फोटो निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के देयकों का वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जा सके। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से भेजें अन्यथा वित्तीय वर्ष में भुगतान न होने के फलस्वरूप संबंधित **जिला निर्वाचन अधिकारी** की जिम्मेवारी निर्धारित की जावेगी।

(एस.एस. बंसल) 23.1.12
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदधिकारी,
मध्यप्रदेश

फा. क्र. 01/2012/3/592

भोपाल, दिनांक 23 जनवरी, 2012

प्रतिलिपिः

श्री हरिरंजन राव, प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड, 147--जोन--1, एम. पी. नगर, भोपाल को अग्रेषित । कृपया आपके स्तर से समस्त वेण्डर को निर्देशित कर जिला कार्यालय को चालान इत्यादि अनिवार्य प्रदान करने के लिए निर्देशित करें। जिला कार्यालय से कागज़ की जाँच एवं लेमिनेशन पाऊच की जाँच एवं अन्य कटौत्रों की जानकारी प्राप्त कर वेण्डर के देयक से समायोजन करना सुनिश्चित करें।

(एस. एस. बंसल) 23.1.12
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदधिकारी,
मध्यप्रदेश